रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1613] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2008/कार्तिक 27, 1930
No. 1613] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2008/KARTIKA 27, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2008

का.आ. 2674(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस ई आई ए ए), उड़ीसा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकरण, उड़ीसा कहा गया है) का गठन करती है जिसमें उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य होंगे, जो निम्नलिखित हैं :—

1.	प्रो. (डा.) चित्तरंजन दास, सेवानिवृत्त प्रिंसीपल, बीजेबी कालेज और पूर्व मुख्य कार्यकारी चिल्का विकास प्राधिकरण, 42, सूर्य नगर, भुवनेश्वर-751003	अध्यक्ष, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया और पर्यावरण गुणवत्ता
2.	श्री प्रमोद चन्द्र रथ, सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर, पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग और सदस्य, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 23, रायल गार्डन, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के निकट एगिनिया, भुवनेश्वर-751019	सदस्य (गैर-सरकारी) परियोजना प्रबंधक और पर्यावरण गुणवत्ता
3.	निदेशक, पर्यावरण एवं उड़ीसा सरकार के विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य सचिव

2. उपरोक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी । उन्हें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा ।

3. उक्त प्राधिकरण, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई है ।

4. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार उड़ीसा राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तराखंड का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :—

(1)	(2)	(3)
1.	डा. गगनबिहारी नित्यानंद चैनी, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, प्राणिविज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी, उत्कल विश्वविद्यालय, वानी विहार, भुवनेश्वर-751004	अध्यक्ष, जीवन विज्ञान
2.	प्रोफेसर (डा.) सोयम प्रकाश राउत, रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, उत्कल विश्वविद्यालय, वानी विहार, ए/261, शाहिद नगर, भुवनेश्वर-751007	सदस्य, पर्यावरण गुणवत्ता और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया
3.	डा. हरेकृष्णा नायक, सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, प्लाट सं. एन-1/244, आई आर सी गांव, भुवनेश्वर-751015	सदस्य, पर्यावरण गुणवत्ता और परियोजना प्रबंधन
4.	डा. मोहेश्वर पात्रा, रायल कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एन-3/110, नायापाली, आईआरसी-गांव, भुवनेश्वर-751015	सदस्य, पर्यावरण गुणवत्ता

(1)	(2)	(3)
5.	श्री शशांक शेखर पटनायक, सेवा निवृत्त आई एफ एस, अरण्यक vi-एच-99, सैलाश्री विहार, भुवनेश्वर-21	सदस्य वानिकी और वन्यजीव
6.	प्रोफेसर कुमार दास, अर्थ शास्त्र के प्रोफेसर, ए-7, उत्कल विश्वविद्यालय कैम्पस, भुवनेश्वर-751004	सदस्य, पर्यावरण अर्थशास्त्र
7.	डा. सुरेन्द्र नाथ दास, अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक, इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटेरियल टेक्नोलॉजी (सी एस आई आर), भुवनेश्वर-751013	सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, पर्यावरण गुणवत्ता
8.	डा. आर सी मोहन्ती, वनस्पतिविज्ञान के प्रोफेसर, उत्कल विश्वविद्यालय, वानी विहार-751004	सदस्य जीवन विज्ञान
9.	सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उड़ीसा, भुवनेश्वर	सचिव

5. उक्त प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगा ।

6. उड़ीसा राज्य सरकार प्राधिकरण को सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण के रूप में अधिसूचित करेगी । उपरोक्त प्राधिकरण सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का भुगतान उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

7. एस ई ए सी, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एसईएसी उड़ीसा का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी, उड़ीसा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी हैं ।

9. एस ई ए सी उड़ीसा सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी । अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति नहीं बन पाती है तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. उड़ीसा राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण के रूप में अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते का भुगतान उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-11013/49/2008-आई ए-II(I)]

नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 17th November, 2008

S.O. 2674(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Orissa (hereinafter referred to as the said Authority, Orissa) comprising of three members, namely :—

1.	Prof. (Dr.) Chittaranjan Das, Retd. Principal, BJB College and former Chief Executive, Chilka Development Authority, 42, Surya Nagar, Bhubaneswar-751003	Chairman, Environment Impact Assessment process and Environment quality
2.	Shri Pramod Chandra Rath, Retd. Chief Engineer, Public Health Engineering and Member, State Pollution Control Board, 23, Royale Garden, near BSNL Telephone Exchange, Aiginia, Bhubaneshwar-751019	Member, (non-official), Project management and Environment quality
3.	Director, Environment-cum-Special Secretary to Government of Orissa, Forest and Environment Department	Member-Secretary

2. The Chairman and non-official member of the said Authority shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette. They shall be nominated by the State Government.

3. The said Authority shall exercise such powers and follow such procedure as enumerated in the notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006.

4. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Orissa, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Orissa (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members, namely :—

(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Gagan Bihari Nityananda Chainy, Professor and Head of Department Zoology and Bio-technology, Utkal University, Vani Vihar, Bhubaneswar-751004	Chairman, Life Sciences
2.	Professor (Dr.) Swoyam Prakash Rout, Prof. of Chemistry Utkal University Vani Vihar A/261, Sahid Nagar, Bhubaneswar-751007	Member, Environment Quality and Environment Impact Assessment process
3.	Dr. Harekrishna Nayak, Professor of Civil Engineering, Gandhi Institute of Technology Plot No. N-1/244, I.R.C. Village Bhubaneswar-751015	Member, Environment Quality and Project management
4.	Dr. Moheshwar Patra, Royal College of Science and Technology, N-3/110, Nayapali, I.R.C. Village, Bhubaneswar-751015	Member, Environment Quality
5.	Shri Sasanka Sekhar Patnaik Retd. IFS Aranyaka VI-H-99, Sailashri Vihar, Bhubaneswar-21	Member, Forestry and Wildlife
6.	Professor Kumar Das, Professor of Economics, A-7, Utkal University Campus, Bhubaneswar-751004	Member, Environment Economics
7.	Dr. Surendra Nath Das, Emeritus Scientist, Institute of Minerals and Materials Technology (CSIR), Bhubaneswar-751013	Member, Environment Impact Assessment Process, Environment quality
8.	Dr. R.C. Mohanty, Prof. of Botany Utkal University Vani Vihar-751004	Member, Life Sciences
9.	Member-Secretary, State Pollution Control Board, Orissa, Bhubaneswar.	Secretary

5. The said Authority, shall take decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC).

6. The State Government of Orissa shall notify the agency to act as a Secretariat for the Authority. The said Authority shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sittings fee, Travelling Allowance and Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Orissa as per State rules.

7. The Chairman and Members of the SEAC shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The SEAC, Orissa shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Orissa shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Orissa shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

10. The State Government of Orissa shall notify the agency to act as Secretariat for the SEAC, Orissa and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance and Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Orissa as per State rules.

[F. No. J-11013/49/2008-IA-II(I)]

NALINI BHAT, Scientist "G"

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.